92

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

विद्युत भवन,जनपथ,ज्योति नगर, जयपुर – 302005

क्रमांक : राराविप्रनि/सी.एना./सूच.का.अधि./प्रे. 268 जयपुर, दिनांक 11/9/19

सूचना का अधिकार

Joint Legal (Remembrancer)
RRVPNL, Jaipur-5
R.R. No. 1310
Date 16.9.19

अपीलीय अधिकारी,

....,

रा.रा.वि.प्र.नि.लि.,

..............................।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् परिपत्र के संबंध में।

संदर्भ :- शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक प.9(3)ऊर्जा/2019 दिनांक 04.09.2019.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् विशिष्ठ शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवम् समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त परिपत्र क्रमांक एफ.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009 दिनांक 22.08.2019 संलग्न कर लेख है कि परिपत्र में दिये गये निर्देशो की पालना अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी से करवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

16/9/19

(श्याम सिंह शेखावत)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपी :- निम्न को परिपत्र की प्रालनार्थ प्रेषित है :-

1. ~~भूमि अवाप्ति~~ अधिकारी/ संयुक्त विधि परामर्शदात्री,/ ~~अधीक्षण अभियन्ता (एच.आर.डी.)~~ रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
2. सयुक्त/ उप सचिव (जीएडी/पेंशन), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
3. उप निदेशक कार्मिक (मुख्यालय /टी एण्ड सी), रा.रा.वि.प्र.नि.लि.जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सहायक सचिव/लेखा अधिकारी ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।

सचिव (प्रशासन)

PS/CMD/T/R No. 2199
Dated 04/09/19

Secretary (Admn.) RRVPNL
R. R. No. 3555 Dt. 3.9.19

4 SEP 2019

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक प. 9(3)ऊर्जा/2019 जयपुर, दिनांक 0 4 SEP 2019

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लि.
जयपुर।
सचिव,
राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग,
जयपुर
प्रबन्ध निदेशक,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि. जयपुर।
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लि. जयपुर।
वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक,
विद्युत निरीक्षणालय,
जयपुर।

विषयः-प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) से प्राप्त अधिसूचना के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) विभाग से प्राप्त अधिसूचना क्रमांक प. 20 (84) प्रसु/ सूअप्र/2009 दिनांक 22.08.2019 की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 में किये गये संशोधनों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(चन्द्र प्रकाश चावला)
शासन उप सचिव एवं
राज्य लोक सूचना अधिकारी

D/Sunil/Sunil/Pandya Ji/RTI New (734)

94

प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

एफ 20(84) प्रसु/सूअप्र/2009 जयपुर, दिनांकः 22.08.2019

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.–** राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "फीस दी जायेगी।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "फीस दी जायेगी या लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से संदत्त ऐसी फीस की समुचित रसीद दी जायेगी, यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 4 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 4 में,–

(i) उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में फीस" के स्थान पर अभिव्यक्ति "या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में फीस" के स्थान पर अभिव्यक्ति "या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से

(रविशंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. निजी सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को असाधारण गजट के दिनांक 22.08.2019 के असाधारण गजट अंक में प्रकाशन हेतु।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण)विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश चन्द्र माथुर)
शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
(RIGHT TO INFORMATION CELL)

'o.F 20(84)AR/RTI/2009 **Jaipur, dated: 22-08-2019**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 27 of the Right to Information Act, 2005 'entral Act No. 22 of 2005), the State Government hereby makes the following rules further to nemd the Rajasthan Right to Information Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and Commencement.**– (1) These rules may be called the Rajasthan Right to Information (Amendment), Rules 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazzette.

2. **Amendment of rule 3.**– In rule 3 of the Rajasthan Right to Information Rules, 2005, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "payable to the public authority.", the expression "payable to the public authority or proper receipt of such fees paid by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

3. **Amendment of rule 4.**– In rule 4 of the said rules,-

   (i) in sub-rule (1), for the existing expression "payable to the public authority", the expression "payable to the public authority or by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

   (ii) in sub-rule (2), for the existing expression " payable to the public authority", the expression "payable to the public authority or by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

By Order of the Governer,

(Ravishankar Shrivastava)
Additional Chief Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Secretary to Hon'ble Governor, Rajasthan.
2. Principal Secretary to Chief Minister, Rajasthan.
3. All Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Rajasthan, Jaipur.
4. All Head of Departments, Rajasthan.
5. PS to Chief Secretary, Rajasthan.
6. Director, Printing&Stationary, Rajasthan,Jaipur for publication in Issue of the extra ordinary Gazette dated 22-08-2019.
7. Director, Information & Public Relation Department, Jaipur.
8. Law(Codification) Department.
9. Guard file.

(Jagdish Chandra Mathur)
Dy. Secretary to the Government